

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/12322-28 दिनांक:- 09 जुलाई 2013

शुद्धि-पत्र

विभाग के आदेश संख्या 133/2013-14 दिनांक 28.06.2013 के क्रम संख्या 06 पर अंकित श्री कालूदास (9467) के नाम के आगे कॉलम संख्या 04 पर अंकित कार्यालय का नाम "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर" के स्थान पर "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला" पढ़ा जावे।


निदेशक,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/12322-28 दिनांक:- 09 जुलाई 2013

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला
2. जिला कोषाधिकारी, जोधपुर
3. ~~मुख्य लेख अधिकारी, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार, जोधपुर~~
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II) निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि श्री कालूदास, लेखाकार को विभागीय आदेश क्रमांक 133 दिनांक 28 जून 2013 द्वारा कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला में पदस्थापित किया गया है जबकि वहां पूर्व से ही श्री भंवरसिंह शेखावत, कनि० लेखाकार पदस्थापित है। अतः श्री शेखावत, कनि० लेखाकार का अन्यत्र पदस्थापन किए जाने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी करावें।
5. उपनिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राज० राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु
7. निजी सहायक, निदेशक
8. श्री कालूदास, लेखाकार (9467), कार्यालय हाजा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)